

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल परखवाड़ा-2025

शिविर- ~~विज्यापी~~

प्रकरण संख्या:- 25/2025

दिनांक:- 24/6/2025

उनवान

* मुली देवी पालन
श्व. श्री कन्हैया प्रीना
विज्यापी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का विज्यापी भू अ. नि. आरतवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम आन्धोली प 0 ह 0 विज्यापी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 6 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	रहन	रापरिशान लेख शाखा - जोन का खखाड़ा	पुनिपन लेख शाखा - जोन का खखाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

प्रतिनिधी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री मुली देवी पालन श्व. श्री कन्हैया प्रीना विज्यापी
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)